

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-16072026-274539
SG-DL-E-16072026-274539असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]	दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2026/आषाढ 23, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 111
No. 187]	DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2026/ASHADHA 23, 1948	[N. C. T. D. No. 111

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

सं. F.9(11)/2013/F&S/Admn./NFSA/605-635 —राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 10 के साथ पठित धारा 40 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 02 फरवरी, 2026 को दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या SG-DL-E-06022026-269896 द्वारा प्रकाशित दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026 में आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- इन नियमों को दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम (संशोधन), 2026 कहा जाएगा।
- ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. नियम 3 में संशोधन

दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026 के नियम 3 के उप नियम-(1) में निम्नलिखित शब्दों और अंकों—

“वह परिवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.20 लाख रुपये तक है, उन्हें प्राथमिकता वाले परिवार श्रेणी में शामिल किए जाने के लिए पात्र माना जाएगा।”

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“वह परिवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक है, उन्हें प्राथमिकता वाले परिवार श्रेणी में शामिल किए जाने के लिए पात्र माना जाएगा।”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश तथा उनके नाम से,
प्रशांत गोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव- सह -आयुक्त

DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 13th July, 2026

No. F.9(11)/2013/F&S/Admn./NFSA/605-635.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 40 read with Section 10 of the National Food Security Act, 2013, and in partial modification of the Delhi Food Security Rules, 2026, published in the Delhi Gazette vide notification No: SG-DL-E-06022026-269896 dated 02nd February, 2026, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following amendment in the Delhi Food Security Rules, 2026, namely:

1. Short title and commencement

- (i) These rules may be called the Delhi Food Security (Amendment) Rules, 2026.
- (ii) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment in Rule 3

In the Delhi Food Security Rules, 2026, in Rule 3, sub-rule (1), for the words and figures:

“The households having annual family income upto Rs.1.20 lakh will be considered as eligible households for inclusion in the Priority Household category.”

the following shall be substituted, namely:

“The households having annual family income upto Rs.2.50 lakh will be considered as eligible households for inclusion in the Priority Household category.”

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
PRASHANT GOYAL, Addl. Chief Secy.-cum-Commissioner